



सत्यमेव जयते

भारत सरकार  
Government of India

वित्त मंत्रालय  
Ministry of Finance

वित्त मंत्रालय से संबन्धित वित्त संबंधी स्थायी समिति (2019-20) की पहली रिपोर्ट, 17वीं लोक सभा की सिफ़ारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन द्वारा राज्य सभा में दिया जाने वाला वक्तव्य

**STATEMENT BY SMT. NIRMALA SITHARAMAN, MINISTER OF FINANCE IN THE RAJYA SABHA REGARDING THE STATUS OF IMPLEMENTATION OF RECOMMENDATIONS – 1<sup>ST</sup> REPORT OF THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE (2019-20), 17<sup>TH</sup> LOK SABHA, RELATING TO THE MINISTRY OF FINANCE.**

*सितम्बर, September, 2020*

विषय- सूची		INDEX	
क्रम संख्या	विषय वस्तु	पृष्ठ संख्या	Page No.
1.	श्रीमती निर्मला सीतारामन, वित्त मंत्री द्वारा वक्तव्य	i	1. Statement by Smt. Nirmala Sitharaman, Minister of Finance
2.	अनुबंध - दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 को लोक सभा/राज्य सभा में प्रस्तुत वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं तथा निवेश एवं लोक परिसंपत्ति) की 2019-20 की अनुदानों की मांगों से संबद्ध वित्त संबंधी स्थायी समिति की पहली रिपोर्ट में सन्निहित सिफारिशों/टिप्पणियों पर की गयी कार्यवाई रिपोर्ट।	1-12	2. Annexure – Action Taken Report on the Recommendations/Observations contained in the <b>1<sup>st</sup> Report of the Standing committee on Finance on Demands for Grants 2019-20</b> of the Ministry of Finance (Departments of Economic Affairs, Expenditure, Financial Services and Investment and Public Asset Management) presented to Lok Sabha/laid in the Rajya Sabha on 10th December, 2019.

आर्थिक कार्य, व्यय, वित्तीय सेवाएं एवं निवेश और  
लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभागों संबंधी  
अनुदान की मांगों (2019-20) के संबंध में वित्त संबंधी स्थायी समिति  
(17 वीं लोक सभा) की पहली रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के  
कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में  
माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन द्वारा  
राज्य सभा में दिया जाने वाला वक्तव्य

में, राज्य सभा बुलेटिन, भाग II दिनांक 28 सितंबर, 2004 के जरिए  
माननीय अध्यक्ष, राज्य सभा के निर्देश के अनुसरण में आर्थिक कार्य, वित्तीय सेवाएं,  
व्यय और निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग विषयक **वित्त संबंधी स्थायी  
समिति (17वीं लोक सभा) की पहली रिपोर्ट** में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की  
स्थिति के संबंध में वक्तव्य देना अपना सौभाग्य मानती हूँ।

अनुदान मांगों की (2019-2020) जांच से संबंधित वित्त संबंधी स्थायी  
समिति (17वीं लोक सभा) की पहली रिपोर्ट 10 दिसम्बर, 2019 को राज्य सभा में  
प्रस्तुत की गई थी। अपनी रिपोर्ट में, समिति ने कई मुद्दों पर विचार-विमर्श किया और  
बजटीय आबंटन, निधियों का कम उपयोग, बजट के आवंटन में वित्तीय अनुशासन तथा  
ब्याज भुगतान दायित्वों में तीव्र वृद्धि से संबंधित चार (04) अनुशंसाएं की हैं।

इस रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की गई  
कार्रवाई के विवरण को वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेज दिया गया है।  
समिति द्वारा पहली रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान  
स्थिति **अनुबंध** में दी गई है।

में अनुबंध की विषय वस्तु पढ़कर सुनाने में सदन का बहुमूल्य समय  
नहीं लेना चाहूंगी तथा मैं यह अनुरोध करूंगी कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

STATEMENT BY SMT NIRMALA SITHARAMAN,  
MINISTER OF FINANCE,  
IN THE RAJYA SABHA  
REGARDING THE STATUS OF THE IMPLEMENTATION OF  
RECOMMENDATIONS CONTAINED IN THE  
1<sup>ST</sup> REPORT OF THE STANDING COMMITTEE ON FINANCE  
(17<sup>TH</sup> LOK SABHA)  
ON DEMANDS FOR GRANTS (2019-20)  
RELATING TO THE DEPARTMENTS OF THE ECONOMIC AFFAIRS,  
EXPENDITURE, FINANCIAL SERVICES & D/O INVESTMENT &  
PUBLIC ASSET MANAGEMENT

I deem it my privilege to make a statement on the status of implementation  
of recommendations contained in the **1st Report of the Standing Committee on  
Finance (17<sup>th</sup> Lok Sabha)** relating to Department of Economic Affairs,  
Expenditure, Financial Services and D/o Investment & Public Asset Management  
in pursuance of Direction of the Hon'ble Chairman, Rajya Sabha vide Rajya  
Sabha Bulletin, Part II dated 28<sup>th</sup> September, 2004.

The 1<sup>st</sup> Report of the Standing Committee on Finance (17<sup>th</sup> Lok Sabha)  
relating to examination of Demands for Grants (2019-20) of Ministry of Finance  
was laid on 10<sup>th</sup> December, 2019 in Rajya Sabha. In their Report, the Committee  
deliberated on various issues and Four(4) recommendations pertaining to  
Budgetary allocation, under-utilisation of funds, financial discipline in allocation of  
Budget and steep increase in interest payment obligations, have been made.

Action Taken Statements on the recommendations/observations  
contained in the Report have been sent to the Standing Committee on  
Finance. Present status of implementation of the recommendations made by  
the Committee in the 1<sup>st</sup> Report is indicated in **Annexure**.

I would further not like to take the valuable time of the House to read  
out the contents of the Annexure and request that this may please be taken as  
read.

**अनुलग्नक**

वित्त मंत्रालय के संबंध में 10 दिसम्बर, 2019 को लोक सभा में प्रस्तुत/राज्य सभा पटल पर रखी गयी वित्त संबंधी स्थायी समिति की पहली रिपोर्ट में निहित सिफारिशों/टिप्पणियों के संबंध में की गयी कार्यवाई को दर्शाने वाला विवरण।

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्यवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
1.	1	समिति यह नोट करती है कि विनियोग ब्याज भुगतान में शामिल किया गया व्यय सरकार के योजना-भिन्न व्यय के रूप में वर्गीकृत है और यह भारत के संविधान के अनुच्छेद (3)(ग) के संदर्भों में भारत की समेकित निधि पर 'भारित' है। विनियोग में केंद्र सरकार की ऋण बाध्यताओं, आंतरिक एवं विदेशी दोनों, भविष्य निधि आदि पर ब्याज प्रभार के लिए प्रावधान होता है। वित्त मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत ब्यौरे से, समिति नोट करती है कि ब्याज भुगतान 2016-17 (वास्तविक) की तुलना में 2017-18 में	1. ऋण चुकाने हेतु किया गया 6,73,470 करोड़ रुपए का अधिक प्रावधान मुख्यतः राजकोषीय घाटे और अल्पकालिक असंतुलन को पूरा करने के लिए अधिक मात्रा में उधार लेने के कारण था। 2018-19 में 5.71 लाख करोड़ रुपए के वास्तविक उधारों की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों के माध्यम से लगभग 7.10 लाख करोड़ रुपए के उधार लिए गए। अधिक उधारों के अलावा, वर्ष 2018-19 में उधारों की भारित औसत लागत में भारी वृद्धि हुई अर्थात्, 2017-18 के 6.97 प्रतिशत और 2016-17 के 7.16 प्रतिशत की तुलना में 2018-19 में 7.77 प्रतिशत हुई।	स्वीकृत	-----

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		<p>बढ़कर 39,195.53 करोड़ रुपए, 2017-18 (वास्तविक) की तुलना में 2018-19 (सं.अ.) में बढ़कर 56,281.53 करोड़ रुपए हो गया; वर्ष 2018-19 के ब.अ. (5,90,794.95 करोड़ रुपए) की तुलना में 2019-20 का ब.अ. बढ़कर 8,26,755.65 करोड़ रुपए हो गया अर्थात् 2019-20 में 14 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई जो परिपाटी से ज्यादा है। मंत्रालय ने समिति को दिए गए अपने प्रस्तुतिकरण में सरकार द्वारा किए गए ब्याज भुगतान बाध्यताओं में भारी वृद्धि का कारण नहीं बताया है। समिति को आशंका है कि ब्याज भुगतान देयताओं में विगत वर्षों के दौरान हुई भारी वृद्धि के कारण राजकोष पर दबाव पड़ेगा। समिति चाहती है कि यह</p>	<p>2. वित्त वर्ष 2019-20 का ब्याज अनुमान आकलित करते समय, 7.90 प्रतिशत ब्याज दर का अनुमान लगाया गया था। ब.अ. 2019-20 में, पूंजी निवेश के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और एग्जिम बैंक को अपनी विनियामक पूंजी आवश्यकताओं और पीसीए पूंजी आवश्यकता को बनाए रखने के लिए प्रतिभूतियां जारी करने के कारण ब्याज के रूप में 11,000 करोड़ रुपए का भारी अतिरिक्त वृद्धि हुई।</p> <p>3. यह स्पष्ट किया जाता है कि सरकार का यह हमेशा प्रयास रहता है कि यथार्थवादी प्रावधान किया जाए, तथापि, सॉवरेन चूक की किसी भी गुंजाइश को दूर करने के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता है। वर्ष 2019-20 अब लगभग समाप्त होने वाला है और संभावना है कि वास्तविक व्यय की जानकारी ज्ञात हो जाएगी, अतः भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा विगत लगातार 5 अवसरों पर रेपो रेट में निरंतर कटौती के कारण उत्पन्न स्थितियों से व्यय में भारी</p>		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		<p>सुनिश्चित करते हुए कि इससे राजकोषीय स्थिरता का विपथन न हो और निजी निवेश के अवसर को आघात न पहुंचे, सरकार द्वारा किए गए ब्याज भुगतान में अचानक वृद्धि का कारण बताया जाए।</p>	<p>कमी देखी गई है, जिसके परिणामस्वरूप द्वितीयक बाजार में सरकारी प्रतिभूतियां कम आई हैं। सरकारी प्रतिभूतियों के पुनःनिर्गमन के कारण प्रीमियम की बड़ी राशि प्राप्त हुई, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2019-20 के दौरान ब्याज लागत/ऋण चुकोती में भारी कमी आई।</p> <p>4. व्यय किया हुआ ब्याज वित्त वर्ष 2018-19 की तुलना में वित्त वर्ष 2019-20 में बाजार से लिए गए वृद्धित सरकारी ऋण के अनुसार ब्याज व्यय हुआ है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा रेपो रेट में की गई बारंबार कटौती के आधार पर, सरकारी प्रतिभूतियों से हुई आय का 10 वर्षों का बेंचमार्क, जो बाजार तथा निजी संस्थागत निवेश के मनोभाव को दर्शाता है, मोटे तौर पर प्रत्याशित सीमा में व्यापार कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप वित्त वर्ष 2019-20 में भारत सरकार के उधारों की भारित औसत लागत में कमी आई है।</p>		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
2	2	समिति यह जानकार अचंभित है कि आर्थिक मामले विभाग द्वारा प्रस्तुत पिछले तीन वर्षों (राजस्व अनुभाग) की अवधि में वृद्धि/कमी (मुख्य शीर्षवार) दर्शाने वाले विवरण में बजट अनुमान और वास्तविक व्यय के बीच काफी अंतर है। 2016-17 में कुल ब.अ. 12335.39 करोड़ रुपए थी और वास्तविक व्यय केवल 6721.23 करोड़ था और उपयोग में कमी 5614.16 करोड़ रुपए थी; 2017-18 में कुल बजट अनुमान 4302.79 करोड़ रुपए था और पुनः वास्तविक व्यय केवल 3477.31 करोड़ रुपए था और 825.48 करोड़ रुपए की कमी थी, एक बार फिर 2018-19 के लिए बजट अनुमान 4871.23 करोड़ रुपए था और कुल	2016-17 के दौरान, बचतें मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से हुई थीं (i) वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याणकारी स्कीमों के कार्यान्वयन के लिए वरिष्ठ नागरिक कल्याण निधि के सृजन और उसमें राशि अंतरित करने में प्रशासनिक विलंब; (ii) रेलवे बजट का आम बजट के साथ विलय होने के परिणामस्वरूप आम राजस्व में लाभांश के भुगतान के लिए छूट दिए जाने की वजह से रेलवे को लाभांश राहत तथा अन्य छूटों का भुगतान नहीं किया गया था; (iii) राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि (एनआईआईएफ) की स्थापना में प्रशासनिक विलंब और (iv) एडीएफ -12 में अंशदान की निर्मुक्ति 2016-17 के बजाए 2017-18 से की जानी। 2. वर्ष 2017-18 में बचतें मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से हुई थीं (i) एमडीआर प्रभारों की प्रतिपूर्ति का प्रावधान वित्तीय सेवाएं विभाग को अंतरित करना; (ii) राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना	स्वीकृत	-----

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		<p>व्यय केवल 2806.17 करोड़ था और उपयोग में कमी 2065.06 करोड़ रूपए थी। समिति का यह निष्कर्ष है कि सरकार के लिए संपूर्ण बजट तैयार करने के लिए आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय द्वारा बजट बनाने के कार्य में और अधिक ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।</p>	<p>निधि (एनआईआईएफ) के अंतर्गत वाणिज्यिक रूप से अर्थक्षम अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश करने के लिए संभावित अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू निवेशकों के साथ करार को अंतिम रूप न दिया जाना।</p> <p>3. वर्ष 2018-19 में बचतें मुख्य रूप से निम्नलिखित कारणों से हुई थीं (i) व्यावसायिक सेवाएं, विज्ञापन और प्रचार, प्रकाशन, सूचना प्रौद्योगिकी (कार्यालय व्यय), चिकित्सा, छुट्टी यात्रा रियायत छुट्टी नकदीकरण के अंतर्गत स्थापना व्यय पर कम खर्च होना; (ii) एमडीआर प्रभारों का अंतरण आर्थिक कार्य विभाग से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को होना; (iii) राष्ट्रीय निवेश और अवसंरचना निधि के प्रावधान का अंतरण राजस्व भाग से पूंजी भाग में होना।</p> <p>4. वित्त वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के लिए उपर्युक्त व्याख्याओं से देखा जा सकता है कि निधियों का प्रावधान वास्तविक मांग के आधार पर</p>		



क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
3.	3	बजटीय आबंटन के उपयोग में लगातार कमी	<p>किया गया था और अधिकतर बचतें बजट पश्चात निर्णयों/स्कीमों को अंतिम रूप न दिए जाने के कारण हुई थीं जिनके बारे में बजट अनुमान तैयार करते समय कल्पना नहीं की जा सकती थी। तथापि, उपर्युक्त को देखते हुए और वित्त संबंधी स्थायी समिति की टिप्पणियों के मद्देनजर, वित्त वर्ष 2020-21 के लिए बजट आवश्यकता का यथार्थवादी अनुमान लगाने के लिए और अधिक प्रयास किए गए हैं ताकि आबंटित निधियों का अधिकतम उपयोग किया जा सके।</p> <p>क. एनआईआईएफ की स्थापना अगस्त, 2015 में की गई थी। इसका उद्देश्य वाणिज्यिक रूप से व्यवहार्य अवसंरचना परियोजनाओं में निवेश करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू वाणिज्यिक पूंजी को उत्प्रेरित करना है। एनआईआईएफ को संचालित करने के लिए प्रथम कदम विशेषज्ञों के एक मजबूत दल की भर्ती करना, इसकी अभिशासन संरचनाओं की स्थापना करना और निवेश करने से पूर्व गैर-सरकारी निवेशकों</p>	स्वीकृत	---

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
			<p>से पूंजी जुटाना थे। वित्त वर्ष 2016-17 और 2017-18 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी और कार्मिकों की भर्ती की प्रक्रिया चल रही थी। इसके अलावा, वित्त वर्ष 16-17 और 17-18 के दौरान, सावरेन संपदा निधियों और अंतर्राष्ट्रीय पेंशन निधियों जैसे विभिन्न निवेशकों के साथ वार्ताएं अग्रिम स्तर पर थीं जिसके परिणामस्वरूप आबंटित की गई निधियों का उपयोग कम हुआ। एनआईआईएफ ने पत्तन और संभारतंत्र क्षेत्र में निवेश करने के लिए संयुक्त उद्यम कंपनी का सृजन करने हेतु डीपी वर्ल्ड के साथ भागीदारी करके अपना प्रथम निवेश किया। इसके परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2017-18 के दौरान 327.42 करोड़ रुपए की निधियों का उपयोग किया गया।</p> <p>ख. वित्त वर्ष 2018-19 में, नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के निर्देशों पर एनआईआईएफ के लिए एक लेखांकन प्रक्रिया तैयार की गई थी और एनआईआईएफ के लिए राशि जारी करने हेतु पूंजी शीर्ष अर्थात् 5465-01-190-</p>		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
			<p>46.00.54 के तहत एक नया लेखा सृजित किया गया था क्योंकि एनआईआईएफ के लिए किए गए निर्गमनों संबंधी व्यय पूंजीगत व्यय था। वर्ष 2018-19 के लिए द्वितीय पूरक मांगे, शीर्ष 3465 (राजस्व शीर्ष) के तहत प्रदान की गई संपूर्ण राशि पूंजी शीर्ष 5465 में अंतरित कर दी गई थी। संशोधित अनुमान 2018-19 में शीर्ष 3465 के तहत प्रदान की गई 1000 करोड़ रुपए की राशि शीर्ष 5465 में अंतरित किए जाने के पश्चात् उपयोग कर ली गई थी और वर्ष 2018-19 के दौरान व्यय पूरा करने के लिए 196 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि की भी मांग की गई थी। इस प्रकार, वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 1196 करोड़ रुपए की राशि का उपयोग किया गया था। वर्ष 2018-19 में मांग संख्या 27 के तहत मुख्य शीर्ष 3465 के अंतर्गत व्यय 'शून्य' दर्शाया गया है क्योंकि इस शीर्ष के अंतर्गत प्रदत्त राशि मुख्य शीर्ष 5465 में अंतरित कर दी गई थी।</p>		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
			<p>ग. वार्षिक बजट में एनआईआईएफ के लिए की गई मांग उस वक्त विभिन्न निधियों के साथ की जा रही वार्ताओं के आधार पर प्रत्याशित निवेशों के आधार पर की गई है। एनआईआईएफ द्वारा निवेशों के समय और मात्रा का पहले से अनुमान लगा पाना कठिन है, क्योंकि किसी निवेश की वाणिज्यिक व्यवहार्यता सुनिश्चित करने के लिए अनेक कारक ध्यान में रखे जाते हैं। इसके बावजूद, एनआईआईएफ के लिए बजट में वास्तविक मांग प्रस्तुत करने के प्रयास किए गए हैं। ऐसा करते समय यह तथ्य भी ध्यान में रखा जाता है कि बजट में निधियों की कमी निवेशों के मार्ग में आड़े नहीं आनी चाहिए।</p> <p>घ. भारत सरकार ने एनआईआईएफ के लिए 20,000 करोड़ रुपए की राशि की प्रतिबद्धता की है। एनआईआईएफ के लिए अंशदान करार के अनुसार मास्टर निधि का अंतिम समापन, प्रथम समापन की तारीख से 24 माह के भीतर होना अपेक्षित है सलाहकार बोर्ड में से 75 प्रतिशत की लिखित पूर्व</p>		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
			<p>सहमति से अंतिम समापन को अंतिम समापन की प्रारंभिक तारीख से 12 और माह तक बढ़ाया जा सकता है। निधि के अंतिम समापन की तारीख को विभिन्न निवेशकों, भारत सरकार (49 प्रतिशत हिस्सा) सहित, द्वारा प्रतिबद्ध धनराशि को निवेश अवसर के आधार पर अगले 5-6 वर्षों में निवेशकों से एनआईआईएफ के निवेश प्रबंधक, एनआईआईएफएल द्वारा आहरित किया जाएगा। भारत सरकार के हिस्से (49 प्रतिशत) को जारी करने के लिए, एनआईआईएफ के लिए वार्षिक बजट में प्रत्येक वर्ष प्रावधान किया जाना होगा। इसके अतिरिक्त, एनआईआईएफ के निवेश प्रबंधक को प्रथम समापन की तारीख से अवधि समाप्त होने की तारीख तक (प्रत्येक बार एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए 3 बार विस्तार दिए जाने के अध्यधीन अंतिम समापन की तारीख 15 वर्ष की अवधि के पश्चात्) प्रबंधन शुल्क का भी भुगतान किया जाना होगा, जिसके लिए भी उस अवधि तक वार्षिक बजट में प्रावधान रखा जाना होगा।</p>		

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
4	4	<p>मांग सं. 28, मुख्य शीर्ष 3475 के अंतर्गत 2016-17 में 60.80 करोड़ रुपए के बजट प्राक्कलन की तुलना में 48.75 करोड़ रुपए का अतिरिक्त उपयोग था; इसके बाद 2017-18 और 2018-19 में क्रमशः 234.52 करोड़ रुपए और 132.54 करोड़ रुपए की कमी हुई। समिति को यह प्रतीत होता है कि कार्यक्रमों/ गतिविधियों आदि की स्थिति/ अवधि का पता लगाए बिना इस शीर्ष के तहत बजट आवंटन किए गए थे। समिति बजट आवंटन करते समय अधिक वित्तीय विवेक और अनुशासन की उम्मीद करेगी। समिति आगे यह आग्रह करना चाहेगी कि सरकार द्वारा विक्रेताओं और ठेकेदारों को किए जाने वाले भुगतान में तेजी लाई जाए ताकि सरकार के साथ व्यापार करने वाले</p>	<p>बजटीय आवंटन करते समय वित्तीय विवेक से संबंधित समिति की सिफारिशों के संबंध में वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए एमएच 3475 (पीएफएमएस) के तहत बजट आवंटन में तदुसार कटौती की गई थी। आगामी वित्तीय वर्ष के लिए अधिक यथार्थवादी बजट प्राक्कलन बनाने के लिए व्यय प्रोफाइल की समीक्षा की गई है। यह सुनिश्चित किया गया है कि बजट प्राक्कलनों और संशोधित प्राक्कलनों को निगरानी योग्य प्रतिबद्धताओं के संदर्भ में तैयार किया जाएगा और वित्त मंत्रालय ने सभी विभागों को निधियों की आवश्यकता का इस तरह से वास्तविक आकलन करने के लिए प्रभावी तंत्र अपनाने के निर्देश दिए हैं जिससे वित्तीय वर्ष के अंत में बचत को अनुचित ढंग से लौटाने की संभावना समाप्त हो जाए।</p> <p>इसके अलावा, समिति की इस सिफारिश के संबंध में कि विक्रेताओं/ ठेकेदारों को सरकार द्वारा किए जाने वाले भुगतान में तेजी लाई जानी चाहिए ताकि निजी क्षेत्र के भागीदारों पर कोई वित्तीय दबाव न पड़े, यह</p>	स्वीकृत	...

क्र.सं.	सिफारिश संख्या	सिफारिश	सरकार द्वारा की गई कार्रवाई	सरकार द्वारा स्वीकृत या अस्वीकृत	टिप्पणी (यदि कोई हो)
1	2	3	4	5	6
		निजी क्षेत्र के प्रतिभागियों को वित्तीय कठिनाई का सामना न करना पड़े। इसके अलावा, अर्थव्यवस्था में लेनदेन की गति को बनाए रखने के लिए समय पर भुगतान करना आवश्यक है।	<p>बताया जाता है कि यह सुनिश्चित करने के लिए कि किसी विक्रेता को किए जाने वाला भुगतान, जो देय है और जिसमें देरी हो जाती है, के लिए सभी लंबित देयताओं की आंतरिक समीक्षा करने की एक प्रणाली लागू की गई है, ताकि किसी विक्रेता को देय भुगतानों को समय पर जारी न करने के कारण कोई नुकसान न हो। इसके अलावा, जीईएम विक्रेताओं से खरीदी गई वस्तुओं और सेवाओं के भुगतान की निगरानी करने और समय पर भुगतान जारी करने के लिए खरीदारों हेतु जीईएम पर एक डैशबोर्ड बनाया गया है। जीएफआर, 2017 के अनुसार, विभाग, जीईएम से सभी वस्तुओं/सेवाओं, यदि उपलब्ध हो, की खरीद करता है। नवीनतम जीईएम प्रावधानों के अनुसार, सभी वस्तुओं/सेवाओं के लिए भुगतान प्रेषिती प्राप्ति-सह-स्वीकृति प्रमाण-पत्र (सीआरएसी) जारी करने और बिल जमा करने के 10 दिनों के भीतर जारी किया जाना होता है।</p>		

**Statement showing Action Taken on the Recommendations/Observations contained in the First Report of the Standing Committee on Finance presented to Lok Sabha/ laid in the Rajya Sabha on 10<sup>th</sup> December, 2019 relating to Ministry of Finance.**

<b>S.No.</b>	<b>Recommendation No.</b>	<b>Recommendations</b>	<b>Action Taken by the Government</b>	<b>Whether Accepted or Not by the Government</b>	<b>Remarks (if any)</b>
1.	1	<b>The Committee note that the expenditure included in the appropriation interest payment is classified as Non-plan expenditure of the Government and is ‘charged’ on the Consolidated Fund of India in terms of article (3)(c) of the Constitutions of India. The Appropriation provides for interest charges on Central Government’s debt obligations, both internal and external, provident fund etc. From the details submitted by the Ministry of Finance, the Committee note that there have been an increase in interest payment by ₹39,195.53 crore in 2017-18 (Actual) over the year 2016-17 (Actual); ₹56,281.53 crore in 2018-19 (RE) over the year 2017-18 (Actual); the budget allocation BE</b>	<p>1. The higher provision of ₹ 6,73,470 crore towards debt servicing was primarily on account of higher volume of borrowing to meet the fiscal deficit and short- term mismatches. For the financial year 2019-20, borrowing through dated securities were estimated at ₹7.10 lakh crore as against actual borrowing of ₹ 5.71 lakh crore in 2018-19. Apart from the higher borrowing there was a substantial increase in weighted average cost of borrowing in the year 2018-19 i.e. 7.77% as against 6.97% in 2017-18 and 7.16% in 2016-17.</p> <p>2. While computing interest estimates for the financial year 2019-20, the interest rate was factored in at 7.90%. In the BE 2019-20, an additional quantum jump of ₹11,000 crore as interest incidental arises due to issuance of Securities to PSBs and EXIM</p>	Accepted	----



S.No.	Recommendation No.	Recommendations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks (if any)
		<p>for 2019-20 registered an increase by ₹8,26,755.65 crore over the BE (₹5,90,794.95 crore) for 2018-19 i.e. an increase by 14% in 2019-20, which is higher than the trend. The Ministry has not elaborated the reasons for steep increase in interest payment obligation by the Government in their submission to the Committee. The Committee apprehend that such a huge interest liability which has been increasing over the years may put fiscal stability to stress. The Committee desire to be appraised of the reasons for the sudden spurt in the interest payments by the Government, while seeking to ensure that this does not derail the path of fiscal stability and elbow out the scope for private investment.</p>	<p>Bank for capital infusion by Government to enable them to maintain their regulatory capital requirements and PCA capital requirement.</p> <p>3. It is stated that it is always an endeavour of the Government to include realistic provision, however, sufficient funds need to be made available to eliminate any scope of sovereign default. Now the year 2019-20 has nearly come to an end and the actual expenditure is likely to be known, the position emerges has shown a substantial reduction in expenditure due to subsequent cuts in REPO rates by RBI on last 5 consecutive occasions resulting in softening of G-sec yields in the secondary market. Reissuance of Government securities fetched a sizeable amount of premium resulting in a substantial reduction in interest incidence/debt servicing during FY 2019-20.</p> <p>4. The interest expenditure incurred is in tune with enhanced government borrowing</p>		

S.No.	Recommendation No.	Recommendations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks (if any)
2.	2	<p><b>The Committee are surprised to notice wide variations between the BE and Actual Expenditure in the ‘Statement showing increase/decrease (Major Headwise) over the last three years’ (revenue section) furnished by the Department of Economic Affairs. The total BE in 2016-17 was ₹12335.39 crore, while the Actual Expenditure was only ₹6721.23 crore, and the shortfall in utilization was ₹5614.16 crore; the total BE in 2017-18 was ₹4302.79 crore and the Actual Expenditure</b></p>	<p>through Market in FY 2019-20 in comparison to FY 2018-19. On the back of frequent reduction of repo rate by RBI, the 10 year Benchmark G-sec yield, a reflection of market and private institutional investment sentiments, is broadly trading in expected range resulting into reduction of weighted average cost of Government of India borrowing in FY 2019-20.</p> <p>During 2016-17, the savings occurred mainly on account of (i) administrative delay in creation and transfer of fund in Senior Citizen Welfare Fund for implementation of Welfare Schemes for Senior Citizens; (ii) consequent upon the merger of Railway Budget with general Budget, transfer of Dividend Relief and other concessions were not paid to Railways due to exemption granted for payment of dividend to General Revenues; (iii) Administrative delay in setting up of National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) and (iv) Shifting of release of contribution to ADF-12 from 2016-17 to</p>	Accepted	--

S.No.	Recommendation No.	Recommendations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks (if any)
		<p>was again only ₹3477.31 crore, and the shortfall was ₹825.48 crore; and once again the BE in 2018-19 was ₹4871.23 crore and the total expenditure was only ₹2806.17 crore, the shortfall in utilization being as much as ₹2065.06 crore. The Committee are thus inclined to conclude that there is an urgent need to exercise greater “due diligence” in carrying out the budgetary exercise by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance, which is the nodal department for preparation of the entire budget for the Government.</p>	<p>2017-18.</p> <p>2. In 2017-18, the savings occurred mainly due to (i) Shifting of provision of reimbursement of MDR Charges to Department of Financial Services (ii) Non-finalization of agreement with the potential international and domestic investors to invest in commercially viable infrastructure projects under National Investment and Infrastructure Fund (NIIF).</p> <p>3. The savings occurred in Financial Year 2018-19, were primarily on account of (i) less expenditure incurred on establishment expenses under professional services, Advertisement and Publicity, Publication, Information Technology (Office Expenses), Medical, LTC leave encashment; (ii) Shifting of MDR Charges from DEA to Ministry of Electronics and Information Technology (Meity); (iii) Shifting of provision of National Investment and Infrastructure Fund (NIIF) from Revenue section to Capital section.</p>		

S.No.	Recommendation No.	Recommendations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks (if any)
3	3	<b>Persistent shortfall in utilization of budgetary allocation.</b>	<p>4. From the above explanations for F.Y. 2016-17, 2017-18 &amp; 2018-19, it may be observed that funds were provisioned on genuine demands and most of the savings were largely due to post budget decisions/non-finalization of schemes, which could not be visualized at the time of framing of Budget Estimates. However in view of above and keeping in view the observation of the Standing Committee on Finance, further efforts have been made to make the realistic estimation of budget requirement for FY 2020-21 so that the fund allocated are utilized to the maximum extent.</p> <p>A. NIIF was established in August 2015 with an objective to catalyse international and domestic commercial capital to invest in commercially viable infrastructure projects. Among the first steps to operationalize NIIF were to recruit a strong team of experts, set up its</p>	Accepted	---

S.No.	Recommendation No.	Recommendations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks (if any)
			<p>governance structures and to raise capital from private / non-government investors prior to making investments. The process of recruitment of CEO and staff were being done in FY 2016-17 &amp; 2017-18. Further, negotiations with various investors, such as Sovereign Wealth Funds (SWFs) and international pension funds were at the initial stage during FY 16-17 &amp; 17-18, resulting in under-utilization of the funds allotted. NIIF made its first investment during the FY 2017-18 by partnering with DP World to create a JV Company to investment in port and logistics sector. Consequently, funds of ₹347.42 crore were utilized.</p> <p>B. In the FY 2018-19, an accounting procedure was framed for NIIF on directions of C&amp;AG and a new account under the Capital Head viz 5465-01-190-46.00.54 was created for making releases for NIIF as expenditure on releases made</p>		

S.No.	Recommendation No.	Recommendations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks (if any)
			<p>for NIIF was a Capital Expenditure. In the Second supplementary for the year 2018-19, the entire amount provided under the Head 3465 (Revenue Head) was transferred to the Capital Head 5465. The amount of Rs.1000 crore was provided in RE 2018-19 under the Head 3465 after transferred to the head 5465 was utilized and an additional amount of Rs.196 crore was also sought to meet the expenditure during the year 2018-19. Thus, a total amount of Rs.1196 core was utilized during the year 2018-19. The expenditure under Major Head 3465 under Demand No.27 is showing as 'nil' in 2018-19 because the amount provided under this Head was transferred MH 5465.</p> <p>C. The demand sought for NIIF in the annual budget is made on the basis of anticipated investments depending on negotiations being made with various funds at that point of time. The timing and quantum of</p>		

S.No.	Recommendation No.	Recommendations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks (if any)
			<p>investments by NIIF are difficult to predict as several factors are taken into account to ensure commercial viability of an investment. In spite of this, attempts are made to present a realistic demand in the budget for NIIF. While doing so the fact that shortage of funds in the budget should not come in the way of investments is also taken into consideration, as capital calls cannot be defaulted by Government.</p> <p>D. Government of India has committed an amount of Rs.20,000 crore for NIIF. As per the contribution agreement for NIIF, the Final Closing of the Master Fund is required to be held within 24 months from the date of the First Closing. The Final Closing may be extended by additional 12 month from the date of Final Closing with the prior written consent of the 75% of the Advisory Board. The amount committed by various investors, including Government of India (share of 49%) on</p>		

S.No.	Recommendation No.	Recommendations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks (if any)
4.	4	<b>Under Demand No. 28, Major Head 3475 there was an excess utilization of ₹48.75 crore against BE of ₹60.80 crore in 2016-17; followed by ₹234.52 crore and ₹132.54 crore</b>	<p>the day of the final close of fund will be drawn by NIIFL, the investor manager of NIIF from the investors in the next five-six years depending on the investment opportunity. To release Government of India's share (49%), provision will have to be made in the annual budget for NIIF every year. Further, management fees will also have to be paid to the investment manager of NIIF from the date of First Closing until the date of expiry of the Term (after a period of 15 years from the date of the Final Closing subject to an extension thrice for an additional period of one year each), for which also provision will have to be kept in the annual budget till that period.</p> <p>As regards the Committee's recommendations pertaining to financial prudence while making budgetary allocations, the budget allocations under MH 3475 (PFMS) for the Financial Year 2019-</p>	Accepted	....



S.No.	Recommendation No.	Recommendations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks (if any)
		<p><b>shortfall in 2017-18 and 2018-19 respectively. It appears to the Committee that budget allocations were made under this Head without ascertaining the status/tenability of the programmes/activities etc. The Committee would expect greater financial prudence and discipline while making budgetary allocations. The Committee would like to further urge that Government payments to vendors and contractors should be expedited so that private sector participants doing business with the Government are not placed under financial stress. In addition, timely payments are necessary to maintain transaction velocity in the economy.</b></p>	<p>20 were curtailed accordingly. The expenditure profile has been reviewed for more realistic budget estimation for coming financial year. It has been ensured that the Budget Estimates and Revised Estimates will be prepared with reference to the monitorable commitments and Ministry of Finance has issued instructions to all departments to put in place effective mechanism for realistic assessing the requirement of fund in such a way that would ward off the occurrence of unwarranted surrender of savings at a last moment of the financial year.</p> <p>Further, with regard to the Committee's recommendation that Government payments to vendors/contractors should be expedited so that private sector participants are not placed under financial stress, it is stated that in order to ensure that no vendor payments</p>		

S.No.	Recommendation No.	Recommendations	Action Taken by the Government	Whether Accepted or Not by the Government	Remarks (if any)
			<p>which are due, get delayed, a system of internal review of all pending liabilities has been implemented, so that no vendor is at any disadvantage for want of timely release of due payments. Further, a Dashboard for the buyers has been created on GeM for monitoring and timely release of payments for Goods and Services procured from GeM Vendors. The Department procures all the goods/services from GeM, if available as per GFRs, 2017. As per the latest GeM provisions, the payment for all Goods &amp; Services is to be released within 10 days of issue of consignee receipt-cum-acceptance certificate (CRAC) and submission of bills.</p>		